5216

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

2016/00071

ता.पेकी

25/7/16

2) B/L

4/10/16 JR

6-12-17

8-2-17

3-4-17

23-5-17

फिल्ग मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख दायर 3	तारिख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
प्रारूपज 212 RTI	41/16	17/6/16	05-06-2018	

अवार्ड 3/10/17

100% लाभ 25/10/17

11/12/17

13/3/18

4/6/18

अनवान

श्री.....राजुली फुली कारदी धाकड़ सुरास.....श्री.....लोगा, बलाकलाल, सुरेश (7) कांवेल

निवासी.....निवासी.....सुरास

D.K. पोरवाल : श्री बालमुकुन्द जी ई.ए.एस.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
5/6/18	पत्रावली न्याय आपके हाथ कोर्ट रुपयात में पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा पेश किये 17/6/2016 को प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश को मुलवाद के निस्तारण तक बनाये रखने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वकील प्रतिवादी ने बताया कि प्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार नहीं है तथा अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थीगण खातेदार होगा के वास्तविक भी है या नहीं यह जरूरी है, अतः प्रार्थीगण का अनुरोध अस्वीकार फरमावें। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। चूँकि प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मुलवाद सं० 507/2016 इस न्यायालय में लंबित है। अतः मुलवाद में अभी निर्णय बाकी है। इसलिए उभयपक्ष मुलवाद में अपना-अपना पक्ष रख सकते हैं इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। साथ ही मुलवाद के निस्तारण तक अपना वादी द्वारा चाहा गया अनुरोध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत यह आदेश किया जाता है कि प्रार्थनापत्र में दिनांक 17/6/2016 को जारी स्थगन आदेश मुलवाद के निस्तारण तक बना रहे। पत्रावली फैसलेमार होकर नम्बर से कायम हो। प्रार्थनापत्र मुलवाद के साथ संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ

Scanned by CamScanner